संख्या-47/2022/2473/22-2-2021-17(855)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2022

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-09.09.2021, दिनांक 27.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार मनोज सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, ग्राम-पुरनाकला,थाना-पन्नूगंज, जनपद-सोनभद्र का निवासी है। बंदी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 22.12.2004 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, लाठी व डण्डा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-75/2005 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 452 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, सोनभद्र के दण्डादेश आदेश दिनांक 13.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा द्वारा दिनांक 15.03.2021 तक 10 वर्ष, 09 माह, 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 11 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई मानवीय दृष्टिकोण से विधिक प्रावधानों के तहत करने में प्रथम दृष्टतया समय प्रतिकूल नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी के किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी की उम्र 49 होने तथा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज सिंह (बन्दी संख्या-57/2013) पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-सोनभद्र की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-47/2022/2473(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।